

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मथुरा

पत्र संख्या : एसटीई-195/5/08

Sr-10-2 CI

दिनांक : 23-2-09 200

सेवा में,

सहायक निदेशक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

छठी मंजिल, बी.बी. रोड, लोकनाथक भवन

खान मार्केट नई दिल्ली

कृपया अपने अशा/प्रा/सं-एस/एन/सटी/देहली/2008/997/आर.सू-1

दिनांक 12-12-08 का संदर्भ लेने काफ़ट करें, जो श्री शैल पुत्र वफाती निवासी  
मोन/970 गली नं031 नगली बिहार एक्सटेंशन दिल्ली के प्रार्थना-पत्र की जांच के  
सम्बन्धों है2

2- आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसने अपनी लड़की  
फिरदौस का निकाह लगभग तीन साल पहले साईद नि0 नौहशील के साथ किया  
था । दिनांक 22-11-08 को उसके कमरे के आसपास रहने वाले रतन व उसकी  
पत्नी सर्वेस, आवेदक ने उसकी लड़कीको लेकर कहीं गायब हो गये है।

3- इस सम्बन्धों में जांच क्षेत्राधिकारी मांट वदारा कराई  
गई, जिससे प्राप्त आध्या की एक प्रति स्वग्न कर प्रेषित की जा रही है। जांच के  
परिणाम से ज्ञात हुआ है कि आवेदक ने अपनी लड़की की शादी साईद पुत्र नन्नू निवासी  
गांव नौहशील के साथ किया था । आवेदक अपनी लड़की को करीब 6 माह पहले  
अपनी लड़की को सराएल से रुकवात कराके दिल्ली ले गया था । दिल्ली में आवेदक  
के कमरे के आसपास रहने वाले रतन व उसकी पत्नी सर्वेस आवेदक ने उसकी लड़की  
को न जाने क्या सिखाया था या उसे कुछ खिना दिया , जिससे उसकी लड़की ठीक  
तीसरे दिन दिनांक 22-11-08 को रतन व उसकी पत्नी लेकर गायब हो गये ,  
जिसकी जानकारी उसके वदारा थाना निहाल बिहार दिल्ली में दी है। चौक  
आवेदक की लड़की दिल्ली से ही उसके कमरे से गायब हुई है, जिसकी सूचना उसके  
वदारा थाना निहाल बिहार दिल्ली में भी की गई है। अतः पश्नगत प्रकरण की  
जांच दिल्ली से कराये जाने के औचित्य पर विचार करने की कृपा करें ।  
संलग्न-यथोपर

AD/ROF  
17/11/09  
Nest  
S Post  
Seal to  
Bell Police  
Secy

Handwritten signature and initials at the bottom left.

Handwritten signature and stamp of the District Police Officer, Mathura.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जनपद मथुरा ।

3

कृपया आप अपने पत्र संख्या-एस्टीई-195१5१08 दि020-12-08 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक श्री शोरा पुत्र बसन्ती निवासी म0नं0 70 गली नं0 31 नगली बिहार एक्सटेंशन, दिल्ली के प्राधाना पत्र की जाँचकर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है ।

आरोप :-

आवेदक उपरोक्त द्वारा अपने प्राधाना में अंकित किया है कि उसने अपनी लडकी फिरदोस उम्र 22 साल का निकाह लगभग तीन साल पहले साईद पुत्र नन्हू नि0 नौक़ील धाना नौक़ील, मथुरा से किया था । करीब 6 माह पहले वह अपनी लडकी को रुक़ात कराके दिल्ली ले आया था । दिनांक 22-11-08 को उसके कमरे के आस पास रहने वाले रत्न व उसकी पत्नी सर्वेस, बिरेन्द्र और मलखान आदि ने उसकी लडकी को लेकर कहीं गायब हो गये हैं । काफी खोजबीन के बाद भी उसकी लडकी का कहीं पता नहीं चला है आदि ।

58

ADARUF

AD

NCST

585/Gen/109

9/3/09

12/3/09

जाँच :-

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण की जाँच के सम्बन्ध में मेरे द्वारा आवेदक श्री शोरा उपरोक्त के प्राधाना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तो आवेदक द्वारा बताया कि अपने प्राधाना पत्र में अंकित किया है कि उसने अपनी लडकी फिरदोस उम्र 22 साल का निकाह आज से करीब तीन साल पहले साईद पुत्र नन्हू नि0 गाँव नौक़ील, मथुरा के साथ किया था । आज से करीब 6 माह पहले वह अपनी लडकी को उसकी ससुराल से रुक़ात कराके दिल्ली ले आया था । दिल्ली में आवेदक के कमरे के आस पास रहने वाले रत्न व उसकी पत्नी सर्वेस आदि ने उसकी लडकी को न जाने क्या सिखलाया या उसे कुछ छिला दिया जिससे उनकी लडकी उक्त लोगों के कहने पर चलने लगी और कहने लगी कि रत्न व उसकी पत्नी सर्वेस कई लडकियों की नौकरी लगा चुके हैं, मैं कहीं भी नौकरी करके तथा कहीं भी रहकर अपना जीवन यापन कर लूँगी । मौके की नज़रकत को समझते हुए आवेदक अपनी लडकी को ससुराल भोजने की तैयारी करने लगा तो उसके ठीक तीसरे दिन दि022-11-08 को उसकी लडकी को उपरोक्त आदमी लेकर गायब हो गये, जिसकी जानकारी उसके द्वारा धाना निहाल बिहार, दिल्ली में दी गई । चूंकि आवेदक उपरोक्त की लडकी दिल्ली से ही, उसके कमरे से गायब हुई, जिसकी सूचना उसके द्वारा धाना निहाल बिहार दिल्ली में भी दी गई है । अतः प्रश्नगत प्रकरण की जाँच दिल्ली से की कराया जाना समीचीन होगा ।

आख्या सेवा में प्रेषित है ।

दिनांक: जनवरी 07, 2009.

सी0एस0 गौतम  
निहालकारी मॉड,